कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खंड लो0नि0वि0,, हरदोई

पंत्राक – 2260 सी–1/13 दिनांक – 21 /09/13

To,

M/S Reliance jio info.Com
Ltd .3rd Floor maker Chamber 4th
222,Nariman Point Mumbai -400021

Sub.:- Permission for 4C optical Cable for Lucknow Paliya Road Km. 161 to 224 Hardoi Distt. Along S.H. 25

Reff. :- Youre Bank Guaraentee No. 054/BG00028814 Dt. 30-05-20013 for Rs. 10,69,200.00

महोदय ,

उपरोक्त विषयक मार्ग पर आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनुमति माँगी गई थी जिसके कम में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1485/नौ–9–2012–161ज/12 दि0 16.10. 2012 द्वारा 4th Generation Brod Band Wireline/wireless aeess Service के अर्न्तगत आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु मार्ग कटिंग एवं सामान्य अनुमति प्रदेश में की गई है।

अतः उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों के कम में निम्न शर्तो के साथ अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

1. कार्य पूरा होने के 72 घंटे के अन्दर स्थल मूल स्थिति में ला दिया जाये।
2. रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड/वैरीकेट्स व रात्रि में हाइलोजन लागाये जायें कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
3. यातायात में बाधा न उत्पन्न की जाये।
4. मानचित्र में दिये गये रोड कटिंग के ट्रेंच की दूरी मार्ग के मध्य से 13 मी0 से कम नही होनी चाहिये यथा सम्भव इसे मार्ग की स्थाई भूमि की सीमा पर विस्थापित किया जाये।
5. उक्त मार्ग पर यू.पी.एस.एच.ए. द्वारा चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है अतः चौड़ीकरण के कार्य सम्पादन के समय उनके द्वारा कोई सुझाव दिये जाते हैं तो वे बाध्य होंगे।
6. उपरोक्त विन्दुओं के कम यदि किसी बिन्दु का अक्षरतः पालन नही किया जाता है तो आपके द्वारा दी गई बैंक गारन्टी स्वतः विभाग के पक्ष में रख ली जायेगी।

(वी0के0श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड लो0नि0वि0 हरदोई

पंत्राक – सी–1/13 दिनांक – /09/13

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड लो0नि0वि0 हरदोई

निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
हरदोई

पत्रांक– 2584/सी-1/16 दिनांक– 19-11-

सेवा में,

मेसर्स रिलायन्स जिओ इन्फोकाम लि0
तृतीय तल, मेकर चैम्बर्स IV, 222 नरीमन प्वाइन्ट
मुम्बई–400021

विषयः– लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे एच0डी0डी0 विधि द्वारा अण्डरग्राउन्ड आप्टिक फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–**RJIL/OFC/ROW/NLD/EAST/UP/FARRUKHABAD-HARDOI/PV** /04 एवं 06 दिनांक 20.06.2016।

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित मार्गों के किनारे एच0डी0डी0 वि द्वारा अण्डरग्राउन्ड आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति चाही गयी है। इस हेतु रोड कटि सम्बन्धी प्रोफार्मा बिल निम्न विवरण के अनुसार आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया बिल में दर्शा गयी धनराशि रू0 122500.00 (रू0 एक लाख बाइस हजार पांच सौ मात्र) इस कार्यालय में जमा करने कष्ट करें, ताकि रोड कटिंग की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह ध्य रखें कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व खुदाई का कार्य कदापि न कराया जाये।

प्रोफार्मा बिल

क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर रू0	लागत (रू0 में)
1	हरदोई साण्डी मार्ग लम्बाई–22.665 किमी0			
2	हरपालपुर–पलिया–बेड़ीजोर–बारामऊ मार्ग लम्बाई–17.00 किमी0			
	कुल लम्बाई 39.665 किमी0			
	कुल पिट्स= (40 x 10) +2 = 402 नं0 20 प्रतिशत अतिरिक्त पिट्स = 80 नं0 योग = 482 नं0 क्षेत्रफल = 482 x 1.0 x 1.0	482.00 वर्ग मी0	254.00 प्रति वर्ग मी0	रू0 122428.00 अर्थात रू0 122500.00

19-11-2016
(मन्नी लाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0,
हरदोई

पत्रांक– / दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त लो0नि0वि0 उन्नाव।
2. सहायक अभियन्ता–द्वितीय, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 हरदोई।
3. अवर अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 हरदोई।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0
हरदोई

E:A-O.L.\Road Cutting=13